न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2009/00005

1. शिवदयाल मीना पुत्र श्री हरिया मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम चन्दुपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र श्रीमती रामपति देवी नाबालिंग,
2. रामचरण पुत्र श्रीमती रामपति देवी नाबांलिग,
3. मनीष कुमार पुत्र श्रीमती रामपति नाबालिंगान सरपरस्त पिता हरनाथ मीना जाति मीना निवासीयान ग्राम रतनपुर तहसील राजगढ जिला अलवर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

4. तहसीलदार सब रजिस्ट्रार राजगढ़ तहसील राजगढ जिला अलवर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।

उपस्थितिः–

1. **श्री भोलाराम शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री धारासिंह एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 30.05.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2009 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर ने समस्त तथ्य व बहस पर बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम पंचायत ने पूरी–पूरी जॉच की व प्रमाणितशुदा व रजिस्टर्डशुदा वसीयत मूल्या पुत्र धन्ना जाति मीना दिनांक 01.11.1990 पर गौर करने व गोद की रस्म बिरादरी रिवाज से होना स्पष्ट दर्ज है जिसे गौर किया है। उत्तराधिकारी व विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट शिवदयाल जो कि मूल्या का गोद पुत्र है जिसके हक में गोद के आधार पर नामान्तरकरण ग्राम पंचायत ने सही स्वीकार किया है, जिन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2009 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि श्रीमती रामपति ने मूल्या की मृत्यु के बाद मूल्या की वसीयत व गोद के तथ्यों को स्वीकार कर वसीयत निष्पादित की है, जो हकूक शिवदयाल को स्वीकार करते हुए, हकूक जो मूल्या को पहले ही प्राप्त हो चुके है जिनसे पाबन्द है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बैजा व गलत तरीके पर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है, जो आदेश तथ्यों के

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विपरित है। उन्होने आगे कथन किया है कि मूल्या की विरासत गोद के आधार पर गोद की रस्म को चैलेन्ज नही किया गया। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने वसीयत दिनांक 24.10.2003 के निरस्त करने का दावा दायर किया था, जो दावा मुकदमा नम्बर 30/05 तारीख 09.05.2005 को खारिज हो चुका है। दावा वसीयत केन्सील कराने का खारिज होने पर नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में सही प्रकार से स्वीकार किया गया, जो सही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का विवाद नही रहा है व नामान्तरकरण विवादित नही रहा है। ऐसी सूरत में धारा 135(1) भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार में उत्तराधिकार के नाम नामान्तरकरण चढ़ाये जाने का प्रावधान है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित खसरा नम्बर 19 रकबा 0.13 एयर, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.33 एयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.09 ऐयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.29 ऐयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.24 एयर, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.05 ऐयर कूल किता 1.17 ऐयर मूल्या पुत्र धन्ना मीना की थी जिसका विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उन्होने आगे कथन किया है कि मीना जाति में बिरादरी रिति–रिवाज व बिरादरी की रस्म लागू होते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का नोटिफिकेशन लागू नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2009 को निरस्त फरमाया जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 06.04.2004 वाके ग्राम चन्दुपुरा तहसील राजगढ ग्राम पंचायत ढिगावडा बाबत खसरा नम्बर 19, 22, 65, 110, 134 वाके ग्राम चन्दुपुरा बहाल फरमाया जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की माता श्रीमी रामपति पुत्री मूल्या पत्नी श्री हरनाथ जाति मीना निवासी ग्राम चन्दुपुरा तहसील राजगढ हाल निवासी ग्राम रतनपुरा तहसील राजगढ आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 0.13 चाही उत्तम जाव, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.23 चाही उत्तम जाव उत्तम, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.09 चाही उत्तम, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.29 चाही उत्तम, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.24 चाही उत्तम, खसरा नम्बर 134/01 मिन रकबा 0.05 हैक्टयर बारानी सोयम किता 6 कुल रकबा 1.13 हैक्टयर वाके ग्राम चन्दुपुरा तहसील राजगढ 1/2 हिस्सा की काबिज खातेदार काश्तकार थी तथा खसरा नम्बर 68 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.43 हैक्टयर किता 3 कुल रकबा 0.52 हैक्टयर वाके ग्राम चन्दुपुरा की 1/12 हिस्से की काबिज खातेदार काश्तकार थी जिसका स्वर्गवास दिनांक 16.02.2004 को हो चुका है।

अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 मृतक श्रीमती रामपति के पुत्र है तथा जायज वारिसान है, जो अपने पिता हरनाथ पुत्र श्रवण जाति मीना निवासी ग्राम रतनपुरा तहसील राजगढ की

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सरपरस्ती में रहते हुये उपरोक्त आराजी पर बहैसियत वारिस मृतक श्रीमती रामपति काबिज होकर मृतक रामपति की मृत्यु के पश्चात् से ही काश्त करते चले आ रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि मृतक रामपति की मृत्यु पश्चात् रामपति की विरासत का नामान्तरकण दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का व कानूनगों द्वारा मृतक रामपति की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 102 वाके ग्राम चन्दुपुरा (मृतक रामपति के वारिसान की पूर्ण जॉच पडताल) कर दिनांक 08.03.2004 व 09.03.2004 को दर्ज कर दिया जिसमे रामप्रसाद, रामचरण, मीनष कुमार ना.ब. पुत्रान रामपति पत्नी हरनाथ सरपरस्त पिता हरनाथ खुद सा. रतनुपरा स.भा. 1/2 हिस्सा जाति मीना खातेदार शेष 1/2 हिस्सा बदस्तूर नामान्तरकरण संख्या 9 में दर्ज किया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरकरण को फैसल हेतु ग्राम पंचायत ढिगावडा के समक्ष दिनांक 06.04.2004 को ग्राम पंचायत की बैठक में पूर्ण कौरम के समक्ष पेश किया जिसे ग्राम पंचायत ने नजरअन्दाज करते हुऐ अपीलान्ट को बैजा फायदा पहूँचाने की नियत से अपीलान्ट द्वारा तैयार कराई जाकर प्रस्तुत फर्जी व बोगस वसीयतनामा के आधार पर अपीलान्ट के हक में मृतक रामपति की खातेदारी की उपरोक्त आराजीयात का नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया, जो आदेश ग्राम पंचायत ढिगावडा कतई गलत है तथा खिलाफ कानून मनमान व कयासिया होने से निरस्तनीय ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि मृतक रामपति अपने जीवनकाल में अपीलान्ट व उसे पिता व परिवार के किसी भी सदस्य से बोल–चाल व आना–जाना नही रखती थी और स्वयं ही अपने हिस्से की उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त किया करती थी। इस कारण मृतक रामपति द्वारा अपीलान्ट के हक में अपनी उक्त आराजी की वसीयत करने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है परन्तु अपीलान्ट ने महज उपरोक्त आराजी को हड़प करने की नियत से ग्राम पंचायत ढिगावडा के सरपंच से साजबाज कर फर्जी वसीयत तैयार कराई गई। उन्होने आगे कथन किया है कि मृतक रामपति का स्वर्गवास करीब 45 वर्ष की आयु में ही हो गया और उसके वारिसान उसके पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 मौजूद है और नाबालिग है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत करने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिस अपील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एवं प्रकरण का गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2009 द्वारा प्रकरण तहसीलदार राजगढ को रिमाण्ड ही किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित है कि मृतक खातेदार रामपति की विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही के समय ग्राम पंचायत के समक्ष प्रकरण विवादास्पत बन गया था तथा विवादास्पद प्रकरणों में निर्णय करने का

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को प्रदत्त नही है उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 102 की कार्यवाही की गई है जो विधि सम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2009 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है किन्तु उक्त आदेश को और अधिक स्पष्ट किया जाना न्यायहित में आवश्यक है

चूँकि प्रकरण पक्षकारान के मध्य काफी विवादास्पद है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में तहसीलदार राजगढ के स्तर पर प्रकरण में विस्तृत जॉच किया जाना भी अपेक्षित है। ऐसे में अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार राजगढ को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2009 के अनुसरण में प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर भी विस्तृत जॉच करने के पश्चात् ही विधि सम्मत कार्यवाही की जावें:–

1. आया कि वसीयत के सम्बन्ध में दर्ज एफ.आई.आर. में लगाई गई एफ. आर. पर सिविल न्यायालय तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया जाता है।
2. आया कि वसीयत के सम्बन्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत दावा क्यों तथा किन कारणों से प्रत्याहरित किया गया है।
3. आया कि विधि द्वारा स्थापित कानून के अनुसार मीना जाति में पैतृक जमीन में पुत्रीयों का हक विधिक प्रक्रिया अनुसार है अथवा नही।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।